सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा:.सं . NCST/DEV-4424/JH/323/2025-RO-RNC/RU-IV दिनांक :22/12/2025

सेवा मे,

1 **उपायुक्त,**
जिला - सिमडेगा,
ब्लॉकए-, समाहरणालय भवन,
सिमडेगा, झारखंड 835223
Email Id: dc-sim@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक,**
जिला सिमडेगा,
ब्लॉकबी-, समाहरणालय भवन,
सिमडेगा, झारखंड 835223
Email Id: sp-simdega@jhpolice.gov.in

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमति मोसोमाथ तेतरी देवी, पति -स्व .श्री बरनु स्वांसी, ग्राम एवं पोस्ट -हाटिंगहोडे, टोली बाजार बस्ती, थाना-बानो, जिला –सिमडेगा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन" सिमडेगा बानो थाना कांड संख्या 61/2007 के आरोपियों पर कड़ी कारवाई करने के साथ -साथ जमीन रजिस्ट्री बिक्री पर रोक लगाने" के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

प्रवीण
22.12.25

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमति मोसोमाथ तेतरी देवी
पत्नी श्री बरनु स्वांसी .स्व -,
ग्राम एवं पोस्टहाटिंगहोडे -,
टोली बाजार बस्ती, थानाबानो-,
जिला (झारखंड) सिमडेगा - - 835201,
मो -9798389326

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ाइल नं : NCST/DEV-4424/JH/323/2025-RO-RNC/RU-IV

अभ्यावेदिका श्रीमती मोसोमाथ तेतरी देवी, पति–स्व. बरनु स्वांसी, निवासी ग्राम एवं पोस्ट–हाटिंगहोडे, टोली बाजार बस्ती, थाना–बानो, जिला–सिमडेगा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "सिमडेगा बानो थाना कांड संख्या 61/2007 के आरोपियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने एवं भूमि की रजिस्ट्री/बिक्री पर रोक लगाने" के संबंध में आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत|

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न 05:10 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

अभ्यावेदिका श्रीमति मोसोमाथ तेतरी देवी, पति- स्व. बरनु स्वांसी, ग्राम एवं पोस्ट- हाटिंगहोडे, टोली बाजार बस्ती, थाना- बानो, जिला - सिमडेगा (झारखंड) ने आयोग को शिकायत की है कि दिनांक 13/12/2007 दिन गुरुवार समय लगभग 10 बजे करीब उनकी जमीन खाता संख्या - 26, प्लॉट - 1842, रकबा 66 डिसमिल में उन्ही के गाँव के अकबर मियां, ताजु मियां, समशाद मियां ने उनकी जमीन हड़पने की नियत से उनके बड़े पुत्र की हत्या कर दी थी । इस मामले पर पुलिस द्वारा कारवाई भी की गई थी तथा वर्तमान समय में सभी आरोपी अभी जमानत पर बाहर है । अभ्यावेदिका ने यह उल्लेख किया है उक्त तीनों आरोपियों के द्वारा अभी उनके पूरे परिवार को जान से मारकर उनकी जमीन हड़प लेने कि धमकी दे रहे है ।

2. इस प्रकरण में आयोग द्वारा 15 दिन की अवधि में रिपोर्ट मंगाने के किए उपायुक्त, जिला - सिमडेगा, झारखंड एवम् पुलिस अधीक्षक, जिला - सिमडेगा को दिनांक 04 /03/2025 को नोटिस भेजा गया।

3. प्रकरण के संबंध में उपायुक्त, जिला - सिमडेगा (झारखंड) से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित जमीन में से 0.09 एकड़ भूमि के विभिन्न अंश पूर्व में रैयत बुधवा स्वांसी एवं सोमरा स्वांसी द्वारा मौलवी तजुद्दिन, शमसाद अहमद एवं दिनेश चीक-बड़ाईक को विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से बेचे जाने की जानकारी दी गई है तथा शेष भूमि सभी गोतियाओं के आपसी हिस्से में विवादित है। अवर निबंधन कार्यालय द्वारा आवेदिका की आपत्ति को आपत्ति-पंजी में दर्ज कर वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी नये क्रय-विक्रय पर रोक है, जबकि पूर्व की गई रजिस्ट्री/दाखिल-खारिज को रद्द कराने के लिये आवेदिका को सक्षम सिविल/राजस्वन्यायालय में वाद दायर करने की सलाह दी गई है। पुलिस प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बानो थाना कांड संख्या 61/2007 में केवल समरू स्वांसी और शिव स्वांसी को ही अभियुक्त बनाया गया था, दोनों को धारा 302/34 भा.दं.वि. में दोषी ठहराकर 20-20 वर्ष की सजा दी जा चुकी है, तथा जिन व्यक्तियों (मो. तजुद्दिन, शमसाद अहमद, अकबर मियां) के विरुद्ध अभ्यावेदिका ने पृथक से आपराधिक कार्रवाई की मांग की है, उनकी संलिप्तता न प्राथमिकी में पाई गई और न ही अनुसंधान में प्रमाणित हुई। दिनांक-17.02.2025 को अंचल कार्यालय, बानो के अमीन श्री अंतु कुमार उक्त विवादित जमीन के मापी एवं सीमांकन के लिए गये थे परंतु आवेदिका तेतरी देवी एवं उनके पुत्र देवेन्द्र स्वांसी के असहमति के उपरांत मापी एवं सीमांकन नहीं हो सका । उल्लेखनीय है कि जाँच में यह बात

आशा लकड़ा

स्पष्ट कि जमीन को लेकर आवेदिका श्रीमती तेतरी देवी के परिवार एवं शिव स्वांसी के बीच विवाद एवं तनाव की स्थिति बनी हुई है।

4. प्रकरण के संबंध में उपायुक्त, जिला - सिमडेगा (झारखंड) से प्राप्त प्रतिवेदन कि प्रतिलिपि अभ्यावेदिका श्रीमती मोसोमाथ तेतरी देवी को दिनांक 02.05.2025 को सूचनार्थ भेजी गई।

5. मामले में दिनांक 02.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई। तदनुसार, उपायुक्त, जिला–सिमडेगा को समन दिनांक 19.11.2025 को जारी किया गया तथा अभ्यावेदिका को भी इसकी सूचना प्रदान की गई। इससे पूर्व, दिनांक 08.10.2025 एवं 31.10.2025 को भी सुनवाई नियत की गई थी, परंतु संबंधित अधिकारी द्वारा क्रमशः पत्रांक 402/गो., दिनांक 03.10.2025 तथा पत्रांक 461/गो., दिनांक 31.10.2025 के माध्यम से निर्धारित तिथियों पर उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया गया, जिस पर आयोग द्वारा विचार किया गया।

6. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला – सिमडेगा एवम् पुलिस अधीक्षक, जिला - सिमडेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

7. सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाएँ की जाती हैं :

i. विवादित भूमि, खाता संख्या 26, प्लॉट संख्या 1842 का विधिसम्मत मापी, सीमांकन एवं बँटवारा राजस्व विभाग द्वारा पुनः निर्धारित तिथि पर विधि एवं प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार सम्पन्न कराया जाए

ii. सीमांकन एवं बंटवारे की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान स्थानीय पुलिस बल की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अवांछित परिस्थिति, अवरोध या संभावित हिंसात्मक प्रतिक्रिया को प्रभावी रूप से रोका जा सके तथा राजस्व अधिकारियों को सुरक्षित एवं नियंत्रित वातावरण में कार्य संपादित करने में सुविधा हो, और साथ ही दोनों पक्षों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित माहौल उपलब्ध कराया जा सके।

11/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-4424/JH/323/2025-RO-RNC/RU-IV

Sitting to be held on **01.12.2025 at 05.10 P.M-** अभ्यावेदिका **श्रीमति मोसोमाथ तेतरी देवी**, पति- स्व. बरनु स्वांसी, ग्राम एवं पोस्ट- हाटिंगहोडे, टोली बाजार बस्ती, थाना-बानो, जिला - सिमडेगा (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन "सिमडेगा बानो थाना कांड संख्या 61/2007 के आरोपियों पर कड़ी कारवाई करने के साथ - साथ जमीन रजिस्ट्री बिक्री पर रोक लगाने" के संबंध में ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Consultant		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Simdega, Jharkhand**		
1.			
2.	DC & SP through	VC on	2/12/25
3.			
4.			
5.			
6.			
III	**Petitioners**		
1.			
2.			